निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 माघ 1941 (श0)

(सं0 पटना 92) पटना, सोमवार, 3 फरवरी 2020

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद
विद्यापति मार्ग, पटना–800001

अधिसूचना

16 नवम्बर 2019

सं० 1047––**श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पो0– बहदरपुर, था0– मुफसिल, जिला– बेगुसराय** पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0–4488/2019 है।

महंत जय नारायण चेला वारिस महंत रघुवर दास द्वारा दिनांक 04/09/2013 को एक ट्रस्ट डीड लिखा गया कि ''चुंकि जायदाद हाल देवोत्तर श्री ठाकुरजी मौसुफ का है, इसलिए किसी किस्म का हक इन्तकाल या मखफुल या नरपेशगी या टीका वो बरवाद करने का अख्तियार गोवर्द्धन दास मौसुफ या कायम मोकामान को उनके नहीं है वो नहीं होगा।''

गोवर्द्धन दास महंत जगरनाथ के शिष्य थे। कालांतर में इसके न्यासधारी महंत राम उदार दास हुए और उसके शिष्य के बाद त्रिभुवन दास महंत हुए। इन्होंने पर्षद की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना वर्ष 2002–03 में न्यास की काफी भूमि का हस्तांतरण कर दिया और स्वयं ही केवाला को रद्द कराने के लिए T. S. No.- 204/03 दायर किया। इसमें पर्षद को भी पक्षकार बनाया गया था, जिसकी पुष्टि उक्त वाद में दिनांक 25/08/2012 को पारित आदेश (पृ0 सं0–8 का चिन्हित अंश) से होती है।

मा0 न्यायालय द्वारा उक्त आदेश में कहा गया हैः–''चुंकि वादी त्रिभुवन दास को सेवायत की हैसियत से ठाकुरबाड़ी की सम्पत्ति को बेचने का अधिकार ही नहीं है तो उन्होंने यदि किसी बिक्रय विलेश का निष्पादन किया भी है तो वह विधि की नजर में उनके क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अवैध एवं शून्य माना जाएगा।'' पर्षदीय निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन दिनांक– 16/08/2018 के आलोक में भी सार्वजनिकता के आधार पर न्यास के निबंधन की अनुशंसा की गयी है। तदुपरांत तत्कालीन प्रशासक के निर्देश के आलोक में दिनांक 24/09/2019 को न्यास का निबंधन किया गया है।

न्यास की सुव्यवस्था एवं सम्यक् विकास हेतु न्यास समिति गठन हेतु पर्षदीय पत्रांक– 2133, दिनांक 12/01/2018 द्वारा अंचलाधिकारी से नामों की मांग की गयी। इसके अनुपालन में अंचलाधिकारी का पत्रांक–312, दिनांक 12/03/18 द्वारा 12 नामों की सूची प्राप्त हुई। इसमें अध्यक्ष पद हेतु श्री प्रमोद सिंह की अनुशंसा की गयी। प्राप्त नामों का चरित्र–सत्यापन हेतु मुफसिल थाना को पर्षदीय पत्रांक–27, दिनांक 08/04/19

द्वारा पत्र निर्गत किया गया। उक्त पत्र के अनुपालन में थानाध्यक्ष द्वारा डी0आर0–490/19, दिनांक 04/08/19 पर्षद को प्राप्त है। इसी बीच आम जनता का आवेदन दिनांक 09/08/19 भी प्राप्त हुई है। इसके माध्यम से उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी को अध्यक्ष नियुक्त करने का अनुरोध किया है।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा–32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो **बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है**, का प्रयोग करते हुए ''**श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी, ग्राम+पो0–बहदरपुर, था0–मुफसिल, जिला–बेगुसराय**'' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक विकास के लिए नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा–32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम **''श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी न्यास योजना, ग्राम+पो0–बहदरपुर, था0–मुफसिल, जिला–बेगुसराय''** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम **''श्री रामजानकी ठाकुरबाड़ी न्यास समिति, ग्राम+पो0–बहदरपुर, था0–मुफसिल, जिला–बेगुसराय''** जिसमें न्यास की समग्र चल–अचल संपत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा।
2. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की संपत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा–पाठ एवं साधु–सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।
3. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।
4. न्यास की आय–व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्शिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगा।
5. न्यास समिति अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालने करते हुए प्रतिवर्ष न्यास के आय–व्यय की विवरणी, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत, पर्षद शुल्क आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी।
6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहुत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवश्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद को प्रेषित की जायेगी।
7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवश्यक समझी जाये, तो इस हेतु निर्धारित विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के लिए भेजेगी।
8. न्यास समिति न्यास की अतिक्रमित/हस्तांरित भूमि ''यदि कोई हो तो'', उसकी वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।
9. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन या संशोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।
10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास से लाभ उठाते पाये जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे, तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी।
11. न्यास समिति के किसी सदस्य की आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप–पात्रित होंगे, तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
12. न्यास समिति को यह भी निदेशित किया जाता है कि उक्त न्यास संबंधित मकान और दुकान जिन व्यक्तियों के कब्जे में है, उससे वार्तालाप कर वर्तमान परिस्थिति एवं बाजार की आर्थिक स्थिति, वर्तमान किरायेदार आदि के संबंध में नये सिरे से अधिनियम की धारा– 51 के अन्तर्गत प्रयास करें तथा तदनुसार पर्षद को प्रतिवेदन समर्पित करें।

पर्षद द्वारा निरूपित योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति गठित की जाती है:–

(1) अनुमंडल पदाधिकारी, बेगुसराय	–	पदेन अध्यक्ष
(2) श्री महेन्द्र प्र0 सिंह	–	उपाध्यक्ष।
(3) श्री प्रमोद सिंह	–	सचिव।
(4) श्री राजेश यादव	–	कोषाध्यक्ष।
(5) श्री राजेन्द्र यादव	–	सदस्य।
(6) श्री दुसो साह	–	सदस्य।
(7) श्री हीरालाल राम	–	सदस्य।
(8) श्री गौरी भगत	–	सदस्य।
(9) श्री विश्वनाथ सिंह	–	सदस्य।
(10) श्रीमति कौशल्या देवी	–	सदस्या।
(11) श्री संजय मालाकार	–	सदस्य।

उपरोक्त वर्णित न्यास समिति का कार्यकाल 05 वर्षों का होगा।

आदेश से,
अखिलेश कुमार जैन,
अध्यक्ष।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 92-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in